न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 13/18 **निर्णय दिनांकः– 21–01–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2018/00454)

1. विकास कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी चक 3 आरजेडी संसारदेसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–10–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 19–10–2016 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 4 आरजेडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 218/34 के किला नम्बर 13 ता 25 में तादादी 13 बीघा अनकमाण्ड भूमि स्थित है। जिस पर वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 218/34 में किला नम्बर 21 ता 25 में से 10 बिस्वा भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व मुरब्बा नम्बर 218/41 से 218/43 में से अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 4 आरजेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 218/34 में किला नम्बर 21 ता 25 में से 02—02 बिस्वा बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व चकप्लान का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील तहसीलदार छत्तरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1304 दिनांक 12—08—2016 के अनुसरण में रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर रास्ता कायम करने के आदेश पारित किया गया है। परन्तु रास्ता कायम करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित करने का प्रावधान है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व पटवारी की रिपोर्ट में भी कहीं उल्लेख नहीं है कि क्या प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा क्या उक्त रास्ता दो गांवों या अन्य रास्तों को जोड़ता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अविवेकपूर्ण तथा विधिक प्रावधानों से असंगत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में गैर मुमकीन रास्ते के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं, काश्तकार को नोटिस जारी नहीं किया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया—किसी काश्तकार ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और स्वतः रास्ता स्वीकृत किया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—10—2016 अपीलांट खातेदारी भूमि की सीमा की हद तक निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 21—01—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:02:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: